**प्रेस नोट** **15 / 04 / 2024**

आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में-

**तमन्चा व कारतूस के साथ हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार–**

आज दिनांक 15.04.2024 को थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर देवखरी मोड़ के पास से अभियुक्त भोलू नट पुत्र लंगड़ नट निवासी रसुलपुर रौजा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया जो थाना स्थानीय का हिस्ट्रीशीटर है। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 48/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**155 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब व शराब बनाने की सामग्री/उपकरण के साथ 02 गिरफ्तार-**

आज दिनांक 15.04.2024 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर घाघरा नदी के किनारे चक्की मुसा डोही के पास से अभियुक्तगण 1. हीरा लाल चौहान पुत्र स्वं0 रामबड़ाई निवासी मौना थाना बरहज जनपद देवरिया 02. रामप्रीत चौहान पुत्र राजपति चौहान निवासी चक्की मुसा डोही थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से 155 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब व शराब बनाने की सामग्री (फिटकिरी, यूरिया, नौसादर, नमक ) व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 81/24 धारा 272, 273 भा0द0वी0 व 60(1), 63 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।